2006:CGHC:5398

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर(छ०ग०)

रिट याचिका संख्या 715/2003

निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य

1. : संत राम, पिता बुधराम सूर्यवंशी, आयु लगभग 52 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी– ग्राम सेमरी, पोस्ट सिघोरी, जिला बिलासपुर।
2. : केजा राम, पिता प्रेम, आयु लगभग 45 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी – ग्राम सेमरल, डाकघर सेमरल, जिला बिलासपुर।
3. : दलगन प्रसाद, पिता रामाधीन, आयु लगभग 45 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, ग्राम सेमरी, जिला बिलासपुर(छ. ग.)।
4. : मंगत राम, पिता मेहत्तर, आयु लगभग 45 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी– ग्राम सेमरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.)।
5. : संतू राम, पिता महत्तर, आयु लगभग 50 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी ग्राम सेमरी, जिला बिलासपुर।
6. : जग्गू, पिता पूरन, आयु लगभग 45 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी ग्राम सेमरी, जिला बिलासपुर।
7. : फेकू राम, पिता घनाराम, आयु लगभग 48 वर्षजल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी – गांव भरारी, जिला बिलासपुर (छ. ग.)।
8. : परदेशी, पिता पारस राम, आयु लगभग 41 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी ग्राम भरारी, जिला बिलासपुर (छ. ग.)।
9. : सौखी लाल, पिता सरहा, आयु लगभग 42 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, ग्राम भरारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
10. : चैत राम, पिता मिलाउ, आयु लगभग 46 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी– ग्राम भरारी, जिला बिलासपुर (छ. ग.)।
11. : कुशल, पिता सरहा, आयु लगभग 47 वर्ष, जल संसाधन विभाग में दैनिक वेतन पर श्रमिक के रूप में कार्यरत, निवासी–पंडरवा, जिला बिलासपुर (छ०ग०)।

------**याचिकाकर्तागण**

और

1. : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, डीकेएस भवन,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2006:CGHC:5398

रायपुर (छ. ग.)।

2. : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर, तहसील और जिला रायपुर (छ. ग.)

3. : मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ. ग.)।

4. : कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन विभाग, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर।

5. : अनुविभागीय अधिकारी, खारंग जल संसाधन विभाग, सर्वेक्षण अनुविभाग, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ. ग.)।

-------**<u>उत्तरवादीगण</u>**

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5398

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या 715/2003

याचिकाकर्तागण : संत राम और अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ताओं के लिए श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता।
: उत्तरवादीगण/राज्य के लिए श्री ए. एस. कछवाह, शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 15 नवंबर, 2006 को पारित)

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तर्क व्यक्त किया है कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1978 में आकस्मिकता निधि पर दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं की यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन विरचित किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं थी। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता ने उनकी सेवाओं को दिनांक 1-1-1984 से नियमित करने के लिए उत्तरवादीगण को एक रिट/निर्देश जारी करने की मांग की है।

2. उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 309 के अंतर्गत अधिकथित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले दैनिक वेतनभोगियों, तदर्थ कर्मचारियों, परिवीक्षाधीनों, अस्थायी या संविदात्मक कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि ऐसी नियुक्तियां लोक नियोजन के मामले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के समान है जो संवैधानिक योजना का अपमान करती हैं।

3. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य**[1] में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने विधि का स्पष्ट प्रतिपादन अधिकथित किया है जिसका बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अनुसरण किया गया था। इनमें से कुछ निर्णय हैं : **लेखा अधिकारी (ए एंड आई) एपीएसआरटीसी और अन्य विरुद्ध पी. चंद्रशेखर राव और अन्य**[2] और **सुरिंदर प्रसाद तिवारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और अन्य**[3]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) और अन्य**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया था :–

> "45. अस्थायी या आकस्मिक नियुक्तियों को नियमित या स्थायी करने का निर्देश देते समय न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित होते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ समय तक और कुछ मामलों में काफी लम्बे समय तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति की नियुक्ति स्वीकार करता है, वह अपने नियोजन की प्रकृति से अवगत नहीं है। वह नौकरी को खुली आँखों से स्वीकार करता है। यह सत्य हो सकता है कि वह मोलभाव करने की स्थिति में नहीं हो– दूरी बनाकर भी नहीं–क्योंकि वह अपनी आजीविका उपार्जन करने के लिए कुछ रोजगार की तलाश कर होगा और जो कुछ भी उसे मिलता है उसे स्वीकार कर लेता होगा। परंतु केवल उसी आधार पर, नियुक्ति की संवैधानिक योजना को रद्द करना और यह विचार रखना उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति

1 (2006) 4 एससीसी 1
2 (2006) 7 एससीसी 488
3 (2006) 7 एससीसी 488

2006:CGHC:5398

जिसे अस्थायी रूप से या आकस्मिक रूप से नियोजन मिला है, उसे स्थायी रूप से जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करने पर, इससे लोक नियुक्ति की एक और रीती सृजित हो जाएगी, जो अनुमेय नहीं है।"

"47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोजगार में प्रवेश करता है या संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है और यदि वह नियुक्ति प्रासंगिक नियमों या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन पर आधारित नहीं होती है, तो वह नियुक्ति के अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक होने के परिणामों से अवगत होता है। जब पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा सकती है, तब ऐसा व्यक्ति पद पर स्थायी होने के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता।"

5. उपर्युक्त कथित कारणों से और उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार, याचिकाकर्ता सेवा में आमेलन/स्थायी स्थिति या नियमितीकरण के हकदार नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. तदनुसार यह याचिका रद्द की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

गोपाल

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**